11.6.18 पत्रावली राजस्व लोक अदालत आयोजित में आज कैम्प केन्द्र ग्रा.पं. पांचला खुर्द में पेश हुए। वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विपक्षीगण को जारी लोक अदालत नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। बावजूद रजिस्ट्री के अनुपस्थित होने के कारण एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखवाया। प्रार्थी नामान्तरण आज खुलवाया गया और शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

...स्व लोक अदालत अभियान–

न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(लोक अदालत केम्प–अटल सेवा केन्द्र पायलां खूर्द)

पीठासीन अधिकारी–श्री अंजुम ताहिर सम्मा ,आर.ए.एस

राजस्व आवेदन स. 103/2018

प्रार्थीगण

अनोपाराम पुत्र लूम्भाराम

जाति मेगवाल

निवासी–पांयला खूर्द

तहसील सिणधरी व जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण

1. जसराज पुत्र सोहनलाल
   जाति जाट निवासी
   पायंला खूर्द तहसील सिणधरी व
   जिला बाड़मेर
2. हमीद पुत्र सुलेमान
3. इलियास खां पुत्र फकीरा खां
4. हबास खां पुत्र फकीरा
5. यूसूब खां पुत्र फकीरा खां
6. शहीदा बानों पत्नी फकीरा खां
7. हनीफ पुत्र नसीर
8. रमजान पुत्र नसीर
9. मुस्तान पुत्र नसीर
10. गीगा पुत्र नसीर
11. अल्लारख पुत्र नसीर
12. बगू पत्नी नसीर
    जाति मोयला कुम्हार निवासी पांयला
    खुर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
13. लीला देवी पत्नी कानाराम
    जाति कुम्हार निवासी पांयला खुर्द
    तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
14. हकीम खां पुत्र इब्राहीम खां
15. कासम खां पुत्र इब्राहीम खां
16. सकीनों पत्नी बरकत खां
    जाति मुसलमान कुम्हार

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

निवासी पांयला खुर्द तहसील सिणधरी
जिला बाड़मेर

17. मांगाराम पुत्र वगताराम
18. नगाराम पुत्र वगताराम
19. पूनमा पुत्र लुम्बा
20. मफतलाल पुत्र पदमाराम
21. शंकरलाल पुत्र पदमाराम
22. मीरों देवी पत्नी पदमाराम
23. चेला पुत्र खंगार
24. लिखमा पुत्र खंगार
25. विरधा पुत्र खंगार
26. किस्तुराराम पुत्र कुंपा
27. नरसिंगाराम पुत्र कुंपा
28. समरथाराम पुत्र कुंपा
29. खीमाराम पुत्र कुंपा
30. झीणी पत्नी कुंपा
31. शंकर पुत्र प्रतापाराम
32. मोहन पुत्र प्रतापाराम
33. चेतन पुत्र प्रतापाराम
34. झमू देवी पत्नी प्रतापाराम
35. पूनमा पुत्र पेमा
36. वजा पुत्र पेमा

जाति कबली निवासी निवासी पायंला
खूर्द तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

37. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
सिणधरी

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

...जस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956
(वास्ते–विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

आदेश

उपस्थितः–1.श्री डालूराम चौधरी वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2.विप्रार्थीगणः–एकतरफा।

दिनांक–11.6.2018

1.संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/3,272/6 रकबा क्रमशः 24–13, 14–09 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा का चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान में तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/3, 272/6 रकबा क्रमशः 24–13, 14–09 बीघा भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2.प्रार्थी के आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी किये गये। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त हुई। विप्रार्थीगण बावजुद नोटिस तामिल के हाजिर नहीं होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3.वकील प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया,कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/3, 272/6 रकबा क्रमशः 24–13, 14–09 बीघा भूमि आई हुई है। जिस पर प्रार्थी का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है,प्रार्थी की भूमि के सेढा सेढ विप्रार्थीगण की भूमि आई हुई है। वर्षा ऋतु के समय प्रार्थी की भूमि के सेढो को लेकर विप्रार्थीगण द्वारा दखलदान्जी की जाती है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि की पुरानी माढो को हटवाने का प्रयास करते रहते है,और प्रार्थी की खातेदारी भूमि मे आये दिन अवैध कब्जा करने का प्रयास किया जाता है,और आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा रहता है। इस कारण प्रार्थी के खातेदारी भूमि ग्राम पायला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/3, 272/6 रकबा क्रमशः 24–13, 14–09 बीघा भूमि की पक्की नेखमबन्दी के आदेश फरमावें जावे।

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड,सलंग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/3, 272/6 रकबा क्रमशः 24—13, 14—09 बीघा भूमि का प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है,जो पत्रावली के सलंग्न विवादित भूमि संवत 2071 से 2074 से प्रमाणित होता है। तथा काश्त की सुविधा हेतु अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी करवाना चाहते है,विप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील होने के हाजिर नहीं हुए है,इससे प्रतीत होता है,कि विप्रार्थीगण को प्रार्थी की खातेदारी भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति नही होगीं। ऐसी सूरत मे उक्त भूमि की नेखमबन्दी किये जाने में कोई आपति प्रतीत नही होती है।

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र राजस्व लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाकर ग्राम पांयला खुर्द पटवार क्षेत्र पायलां खूर्द तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 272/3, 272/6 रकबा क्रमशः 24—13, 14—09 बीघा के सम्बन्ध में सीमाज्ञान की पूर्व में तहसीलदार सिणधरी कार्यवाही करावें। प्रार्थी नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क वहन करेगा। तत्पश्चात विवादित भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व मे जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिशनर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

(अंजुम ताहिर समा)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 11/6/18 को लिखवाया जाकर मजमे आम सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सिणधरी
उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

Scanned by CamScanner